भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1926

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र में चुनौतियां

†1926. प्रो. सौगत रायः

श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय विद्युत क्षेत्र को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की उच्च पारेषण और वितरण हानि, अपर्याप्त लागत वसूली, प्रचालनात्मक अक्षमता और वित्तीय अस्थिरता सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई डिस्कॉम, विशेषकर राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां, उच्च ऋण और संचित घाटे के बोझ तले दबी हुई हैं जिससे अवसंरचना में निवेश करने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिजली की चोरी और अकुशल बिलिंग और संग्रहण प्रणालियों सहित उच्च समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि उनके वित्तीय संकट को और बढ़ाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्मार्ट ग्रिड और उन्नत मीटरिंग प्रणालियों सहित अवसंरचना के उन्नयन में निवेश की कमी के कारण आधुनिकीकरण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने नीतिगत सुधारों और वित्तीय सहायता प्रणालियों के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : राज्य स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटी (प्रचालन और वित्तीय) में हानि विभिन्न मापदंडों का परिणाम है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- व्यय की विनियामक अस्वीकृति के कारण गैर लागत प्रतिबिंबित टैरिफ और टैरिफ संशोधन में देरी;
- आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर;
- टैरिफ सब्सिडी और सरकारी विभागों की बकाया राशि के भुगतान में विलंब; और
- नकदी अंतराल का प्रबंधन करने के लिए अल्पकालिक और गैर-कैपेक्स ऋण पर निर्भरता।

परिणामस्वरूप, वितरण यूटिलिटी की संचित हानि और बकाया ऋण (**अनुबंध** पर विवरण दिया गया है) अधिक होते हैं जो अवसंरचना के कार्यों में निवेश करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति में सुधार और ग्रिड सुदृढ़ीकरण शामिल है, की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/विद्युत वितरण यूटिलिटी की है।

भारत सरकार (जीओआई) वितरण क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए राज्यों/वितरण यूटिलिटी के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन के माध्यम से वितरण अवसंरचना के निर्माण की सुविधा प्रदान की है, जैसे (क) डीडीयूजीजेवाई, जहां सभी गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई और (ख) आईपीडीएस, जहां शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने को विद्युत वितरण में एक प्रमुख उपाय के रूप में शामिल किया गया था और (ग) घरों के विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य। उपर्युक्त तीन स्कीमों के तहत देश की वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना के कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की मौजूदा संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह स्कीम स्मार्ट मीटरिंग, स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण), वितरण प्रबंधन प्रणाली आदि सहित तकनीकी उपायों पर जोर देती है।

वितरण यूटिलिटी की व्यवहार्यता में सुधार के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- प्रमुख वित्तीय मापदंडों के निमित्त वितरण यूटिलिटी के निष्पादन से संबद्ध आरडीएसएस के तहत फ़ंड जारी करना।
- निष्पादन से संबद्ध राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति।
- राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण की मंजूरी के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।
- ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिम्बित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण व्यय शामिल किए गए हैं।
- उचित सब्सिडी लेखांकन और इसे जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किए गए हैं।

राज्य/वितरण यूटिलिटी सुधारों को कार्यान्वित कर रही हैं और केंद्र और राज्य सरकारों/वितरण यूटिलिटी के सघन प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 के 21.9% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 16.16% हो गई है और एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 21 के रू.0.69/केडब्ल्यूएच से घटकर वित्त वर्ष 25 में रू.0.11/केडब्ल्यूएच हो गया है। जबकि सुधार उपायों ने समग्र एटीएंडसी हानियों को कम करने और राजस्व अंतर को कम करने में कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, वितरण यूटिलिटी की निरंतर वित्तीय व्यवहार्यता और प्रचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा लगातार और बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 1926

अनुबंध

राज्यवार संचित (हानि)/अधिशेष

(राशि करोड़ रूपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (अनंतिम)**
आंध्र प्रदेश	(29,143)	(28,707)	(31,195)	(29,218)	(29,210)	(19,722)
असम	(959)	(1,229)	(893)	(1,699)	(1,324)	(1,028)
बिहार	(14,673)	(17,160)	(19,537)	(19,777)	(18,503)	(16,526)
छत्तीसगढ़	(7,290)	(7,710)	(8,924)	(10,057)	(10,016)	(10,423)
गुजरात	79	436	798	935	5,165	7,355
हरियाणा	(28,978)	(28,341)	(28,404)	(28,165)	(28,001)	(27,915)
हिमाचल प्रदेश	(1,521)	(1,706)	(1,810)	(3,126)	(3,754)	(3,391)
झारखंड	(6,261)	(9,183)	(11,556)	(15,848)	(18,469)	(20,512)
कर्नाटक	(5,645)	(9,821)	(14,413)	(17,559)	(26,109)	(34,996)
केरल	(12,104)	(18,970)	(33,722)	(34,668)	(35,978)	(38,647)
मध्य प्रदेश	(52,981)	(56,880)	(61,010)	(65,291)	(69,301)	(71,394)
महाराष्ट्र	(23,428)	(26,251)	(26,070)	(31,275)	(36,226)	(35,671)
मणिपुर	(131)	(146)	(157)	(286)	(295)	(290)
मेघालय	(2,413)	(2,475)	(2,636)	(4,259)	(4,634)	(4,962)
पंजाब	(8,159)	(6,713)	(5,644)	(10,420)	(9,620)	(3,404)
राजस्थान	(86,868)	(89,084)	(89,556)	(92,070)	(91,565)	(90,303)
तमिलनाडु	(99,860)	(1,38,643)	(1,51,639)	(1,62,507)	(1,66,944)	(1,67,520)*
तेलंगाना	(42,293)	(48,982)	(49,816)	(60,922)	(67,276)	(69,741)
त्रिपुरा	(391)	(382)	(514)	(854)	(1,171)	
उत्तर प्रदेश	(85,069)	(70,661)	(78,004)	(82,556)	(89,662)	(1,00,858)
उत्तराखंड	(3,699)	(3,851)	(3,872)	(5,096)	(5,435)	(3,458)
पश्चिम बंगाल	3	34	83	119	158	174
निजी क्षेत्र	6,424	21,008	24,963	28,871	15,900	25,214
कुल योग	**(5,05,361)**	**(5,45,418)**	**(5,93,528)**	**(6,45,728)**	**(6,92,269)**	**(6,88,016)**

स्रोत: राज्य विद्युत यूटिलिटी के निष्पादन संबंधी पीएफसी रिपोर्ट 2024-25 (अनंतिम)

****: डेटा में टैनजेडको (तमिलनाडु) जिसे हाल ही में 3 कंपनियों में अनबंडल किया गया था, जिनमें से एक टीएनपीडीसीएल (तमिलनाडु की वितरण कंपनी) है के लिए पिछले साल के आंकड़े भी शामिल हैं। केवल टीएनपीडीसीएल की संचित हानि अर्थात (1,19,153) करोड़ रुपये पर विचार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कुल संचित हानि होगी: (6,39,649) करोड़ रुपये।***

राज्यवार संचित बकाया ऋण।

(राशि करोड़ रूपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अनंतिम)
आंध्र प्रदेश	24,463	31,375	36,364	51,465	65,710	77,600
असम	1,916	2,011	908	1,072	1,105	1,131
बिहार	6,726	11,387	12,616	13,885	14,009	14,002
छत्तीसगढ़	4,102	4,139	3,539	6,198	5,398	5,428
गुजरात	636	626	393	333	271	258
हरियाणा	6,864	6,926	8,324	11,886	17,156	20,311
हिमाचल प्रदेश	5,722	6,254	6,267	6,682	6,776	7,024
झारखंड	11,475	15,656	16,732	20,284	18,592	22,381
कर्नाटक	22,769	29,795	29,564	32,211	39,485	47,993
केरल	20,310	19,874	18,867	18,560	18,293	17,638
मध्य प्रदेश	49,112	50,702	52,473	49,145	50,844	49,239
महाराष्ट्र	38,092	38,254	44,075	58,325	84,171	90,659
मणिपुर	370	474	455	619	730	745
मेघालय	624	1,335	1,812	1,728	1,650	1,474
पंजाब	16,258	15,590	16,643	17,813	20,164	17,411
राजस्थान	48,934	53,030	65,945	79,611	92,226	98,488
तमिलनाडु	1,24,413	1,37,632	1,47,716	1,59,431	1,73,521	1,88,411*
तेलंगाना	22,202	31,032	30,137	35,239	46,127	59,230
त्रिपुरा	413	431	663	607	730	0
उत्तर प्रदेश	58,326	81,952	82,047	78,306	67,937	61,395
उत्तराखंड	1,818	1,785	1,447	1,562	1,964	1,729
पश्चिम बंगाल	14,222	15,425	16,616	16,751	15,604	15,279
निजी क्षेत्र	20,544	20,426	22,126	23,122	10,216	7,595
कुल योग	**5,00,310**	**5,76,112**	**6,15,729**	**6,84,836**	**7,52,677**	**8,05,422**

स्रोत: राज्य विद्युत यूटिलिटी के निष्पादनपर पीएफसी रिपोर्ट 2024-25 (अनंतिम)

****: डेटा में टैनजेडको (तमिलनाडु) जिसे हाल ही में 3 कंपनियों में अनबंडल किया गया था, जिनमें से एक टीएनपीडीसीएल (तमिलनाडु की वितरण कंपनी) है के लिए पिछले साल के आंकड़े भी शामिल हैं। केवल टीएनपीडीसीएल की बकाया ऋण अर्थात 1,01,782 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर कुल बकाया ऋण होगी :7,18,793 करोड़ रुपये।***

****